

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), चित्तौड़गढ़

क्रमांक:-रसद/एफ.पी.एस. नियुक्ति/विज्ञप्ति/2025/2435

दिनांक: 31-10-2025

विज्ञप्ति - खरोघट

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग के पत्रांक एफ.17(1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016, एफ. 17(5) खा.वि./न्याय/महि.आर/2019 दिनांक 25.11.2020 एवं जयपुर के पत्रांक/क्रमांक/एफ.17(1) खा.वि./न्याय/2025 दिनांक 27.05.2025, 13.06.2025 एवं 03.07.2025 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खंड 3(1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में जिला रसद कार्यालय से 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से अंतिम तिथि 15.11.2025 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ में जमा करवाये जा सकेंगे। रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	नाम तहसील	क्र. स.	ग्राम पंचायत/वार्ड	रिक्त/ अतिरिक्त	आरक्षण की स्थिति	विशेष विवरण
1	भदेसर	1	आक्या	रिक्त		कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने से
2	राशमी	1	लसाडियाखुर्द (ग्रा0 पं0 जाडाना)एफपीएस कोड. 13744	रिक्त		लसाडियाकला के स्थान पर लसाडियाखुर्द में दुकान रिक्त होने से एवं कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने से


(हितेश जोशी)

जिला रसद अधिकारी
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है - 436-40/31-10-2025

1. श्रीमान् प्रमुख भासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाईट food.raj.nic.in पर अपलोड करावे।
5. तहसीलदार भदेसर, राशमी।
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति राशमी, भदेसर।
7. सहायक निदेशक जिला सम्पर्क कार्यालय चित्तौड़गढ़ को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
8. प्रवर्तन अधिकारी
9. रक्षित पत्रावली।


जिला रसद अधिकारी
चित्तौड़गढ़